हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 17 जनवरी 2026, समय 13:05 (5 मिनट)

प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति जवाद अहमद सिद्दीकी और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज की है। निदेशालय ने बताया कि अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, अल फलाह विश्वविद्यालय और उससे संबंधित संस्थानों से जुड़े कथित अपराध की आय के सृजन और धन शोधन के संबंध में आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई है। निदेशालय ने कहा कि हरियाणा में समूह से जुड़ी लगभग 140 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है।

****

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की खराब गुणवत्ता को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानि ग्रेप के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। यह फैसला दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 354 दर्ज होने के बाद लिया गया। प्रतिबंधों में सभी निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध शामिल है, जिसमें मिट्टी का काम, पाइलिंग, खाई खोदना, और सड़क निर्माण गतिविधियां और बड़ी मरम्मत शामिल हैं। दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-4 डीजल से चलने वाले हल्के कमर्शियल वाहनों को भी राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, सिवाय उन वाहनों के जो ज़रूरी सामान ले जा रहे हैं या ज़रूरी सेवाएं दे रहे हैं।
आयोग ने 9 सूत्री कार्य योजना भी साझा की है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा लागू और सुनिश्चित किया जाएगा।

****

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने में औद्योगिक क्रांति की अहम भूमिका रहेगी। औद्योगीकरण से जहां रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे वहीं आर्थिक सशक्तिकरण को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि पाल्हावास और आसपास के गांवों में प्रस्तावित आईएमटी के बनने से क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुलेंगे और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा।
उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह आज रेवाड़ी के गांव खेड़ा आलमपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी स्व. लालचंद यादव की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
उद्योग मंत्री ने कहा

9-राव नरबीर सिंह-27 सेकंड

****

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना ब्यूरो के अपर महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने कहा कि 'विकसित भारत – जी राम जी' कानून विकसित भारत के सपने को पूरा करने और आत्मनिर्भर गाँवों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है।

अंबाला में विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 पर आयोजित वार्तालाप को संबोधन करते हुए श्री राजेंद्र चौधरी ने इस महत्वाकांक्षी पहल के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कानून रोजगार सृजन को मज़बूती देने, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने और गाँवों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास है। उन्होंने कहा कि 'विकसित भारत – जी राम जी' क़ानून के तहत रोजगार गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर काम उपलब्ध नहीं होता तो मज़दूरों को बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा, मज़दूरी का भुगतान मे15 दिन के बाद होने पर ब्याज दिया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि नए क़ानून के तहत ग्राम पंचायत को सशक्त बनाया गया है, और अब गाँव की सभाएँ स्वयं तय करेंगी कि उनके गाँव में कौन-से विकास कार्य कराए जाएँ। उन्होंने कहा कि विकास से संबंधित निर्णय अब गाँव स्तर पर ही लिए जाएँगे। इस मौके पर अंबाला के उपायुक्त एवं कार्यक्रम के मुख्यातिथि श्री अजय सिंह तोमर ने कहा कि नया कानून आधुनिक, जवाबदेह और अवसंरचना-केंद्रित ढांचे पर आधारित है।

****

हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल से प्रयागराज तक चलने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य परिवहन की यह बस सेवा शुरू होने से आमजन को प्रयागराज तक आने जाने में सुविधा होगी। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की मांग थी कि पलवल से प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू की जाए। श्री गौरव गौतम ने कहा कि बस के संचालन के लिए हरियाणा रोडवेज की तरफ से खाका तैयार किया गया है।श्रद्धालुओं की मांग के अनुसार बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

****

केंद्र सरकार ने 2024-25 के दौरान किसानों की खेती की ज़रूरतों को समय पर पूरा करने के लिए रिकॉर्ड मात्रा में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि खाद की लगभग 152 करोड़ 50 लाख बोरियों की अनुमानित ज़रूरत के मुकाबले, सरकार ने कुल 176 करोड़ 79 लाख बोरियों की उपलब्धता सुनिश्चित की। मंत्रालय ने कहा कि यह उपलब्धि रेलवे अधिकारियों, बंदरगाह अधिकारियों, राज्य सरकारों और खाद कंपनियों के बीच करीबी तालमेल से संभव हुई है। मंत्रालय ने कहा कि उसने खाद कंपनियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें कीं, मांग और आपूर्ति पर लगातार नज़र रखी और आपूर्ति से

संबंधित समस्याओं को तुरंत हल किया। इन सक्रिय कदमों से यह सुनिश्चित हुआ कि देश के किसी भी क्षेत्र में खाद की कमी न हो।